न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)

B.P.No. 342/2026
Barari P.S. Case No.- 28/2026

1. अशोक राम पिता मांगन राम, उ0त0 65 वर्ष,
निवासी सा0 ग्रामः– रौनिया, थाना– बरारी,
जिला– कटिहार।..आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार। ....अभियोजन।

अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0 स0 लो0 अभि0 श्री सरदार यशवंत सिंह।
आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः ....श्री संजय कुमार सिंह।
उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

Date 09-04-2026 आदेश

1. प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 30.01.2026 से काराधीन उपरोक्त अभियुक्त की ओर से दिनांक 01.04.2026 को विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार सिंह द्वारा सशपथपत्र नवीन वकालतनामा के साथ दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह को प्राप्त करायी गयी है।
2. अभियोजन का संक्षिप्त केस यह है कि सूचक पु0अ0नि0 दिवाकर सरकार ने थानाध्यक्ष बरारी को एक लिखित आवेदन देते हुए कथन किया है कि दिनांक 29.01.2026 को समय करीब 10:30 बजे गस्ती दल के साथ थाना से प्रस्थान किया। तभी गुप्त सूचना मिली कि अशोक राम साकिन रौनिया, थाना बरारी, जिला कटिहार के घर पर दो अन्य संदिग्ध व्यक्ति आकर रह रहे हैं। उक्त सूचना की गंभीरता को दखते हुए मैंने तत्काल इस आशय की सूचना वरीय पदाधिकारी को दी तथा उनके निर्देशानुसार बल के साथ आवश्यक कार्रवाई के लिए समय करीब 00:45 बजे अशोक राम के कामत पर पहुंचे। कामत की घेराबंदी करते हुए सत्यापन के दोरान ई0 साक्ष्य ऐप के माध्यम से पूरे कार्यवाही का विडियो रिकार्डिंग किया गया। मौके पर पहुंचने पर अशोक राम के कामत में बांस के मचान पर तीन व्यक्ति सोए हुए पाए गये। एक व्यक्ति से नाम पूता पूछने पर उसने अपना नाम अशोक राम दूसरे ने अपना नाम अर्जुन कुमार तथा तीसरे ने अपना नाम छोटू महलदार बताया। संदेह के आधार पर विधिवत तलाशी ली गयी। तलाशी के कम में व्यक्तियों के बिस्तर की तलाशी लेने पर लोहे का एक देशी कट्टा जिसके बैरल की लम्बाई 12 सेमी बॉडी की लम्बाई करीब 5 सेमी बट की लं0 करीब 8 सेमी कुल लम्बाई करीब 25 सेमी एक पुराना लोहे का चाकू जिसका धार की लम्बाई करीब 22 सेमी उसकी चौड़ाई करीब 3.5 सेमी लोहे के बेट की लम्बाई करीब 11 सेमी कुल लम्बाई 33 सेमी पाया गया। पूछताछ के दौरान उक्त व्यक्तियों द्वारा बरामद हथियार के संबंध में कोई वैध लाईसेंस अथवा कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया, तत्पश्चात उसे विधिवत जब्त करते हुए जब्तीसूची तैयार किया गया।
3. जमानत के बिन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार सिंह एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह को सुना।
4. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक की ओर से यह नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदककी ओर से पूर्व में एक नियमित जमानत आवेदन संख्या– 173/2026 दाखिल किया गया था जो खारिज कर दिया गया। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 30.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अधिकतर समय अपने घर पर रहता है तथा बहुत कम समय के लिए कामत पर जाता है तथा कामत खुली जगह है, जिससे आवेदक को फंसाने के लिए किसी अज्ञात द्वारा साजिश किया गया है। आवेदक के कब्जे से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। आवेदक स्थानीय व्यक्ति हैं तथा न्यायालय के शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं। अतः निवेदन है कि अभियुक्तों को जमानत पर रिहा किया जाये।

Web Copy of Civil Court, Katihar

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक, कटिहार द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक के विरूद्ध गंभीर प्रकृति का आरोप लगाया गया है, जिसके लिए वह जमानत का लाभ पाने का अधिकारी नहीं है।

6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि पुलिस अवर निरीक्षक दिवाकर सरकार के टंकित आवेदन के आधर पर आवेदक एवं अन्य के विरूद्ध बरारी थाना कांड संख्या– 28/2026 दिनांक 30.01.2026 आयुध अधिनियम 1968 की धारा 25(1-b)a26/35 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरान्त आवेदक एवं सह अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र संख्या– 59/2026 दिनांक 28.03.2026 आयुध अधिनियम की धारा 25(1-b)a26/35 के अन्तर्गत समर्पित किया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका 2,3,4,5 में साक्षियों ने प्राथमिकी आवेदन का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के कंडिका 24,25,35 से विदित है कि आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं पाया गया है। आवेदक द्वारा दाखिल नियमित जमानत आवेदन संख्या 173/2026 दिनांक 28.02.2026 को विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ द्वारा इस निर्देष के साथ खारिज किया गया है कि आवेदक मामले में आरोप पत्र समर्पित किये जाने के बाद पुनः जमानत आवेदन दाखिल कर सकेंगे। आवेदक के विरूद्ध 28.03.2026 को आरोपपत्र समर्पित किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 30.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आरोप पत्र के सभी साक्षी पुलिस बल के सदस्य हैं, जिससे साक्षियों को प्रभावित किये जाने की कोई आशंका नहीं है तथा कांड दैनिकी में आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं पाया गया है।

7. उपरोक्त संपूर्ण विवेचन तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक के न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को देखते हुए उसे जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है, तदनुसार आवेदक अशोक राम द्वारा दाखिल जमानत आवेदन दिनांक 01.04.2026 को विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर मो0 10,000/–रूपये तथा समान राशि के दो प्रतिभू का बंधपत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 480(3) में वर्णित उपबंधों के पालन के वचन पत्र के साथ दाखिल करने पर अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।
कार्यालय आदेश की प्रति संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय को भेजें तथा अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्
कटिहार।

Date of order	09-04-2026
Date of Reserving order	09-04-2026
Uploading date	10-04-2026
Uploaded by	Raj Roy (B.C.)

Web Copy of Civil Court, Katihar